

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

पत्र संख्या: लाजि0-एम0टी0-21/2025 दिनांक: मार्च 25 2026

## आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या दस-डीजी-चार-125(14)/2018/355 दिनांक 10-09-2025 के साथ प्राप्त अपर सचिव-प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(40)/2025 दिनांक 01-09-2025 द्वारा निम्नलिखित आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष-2025 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदन दिनांक 10-09-2025 के क्रम में 31 मार्च, 2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 01-04-2026 से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ नं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
148	200	970610298	दयाशंकर यादव	सीताराम यादव	रायबरेली	2025
149	202	030440294	अनिल कुमार यादव	राम जतन यादव	27वीं पीएसी सीतापुर	2025
150	203	920440388	लालदेव यादव	राम नरेश यादव	बस्ती	2025
151	204	930440251	दुर्गा सिंह	श्री राम नयन सिंह	बलरामपुर	2025
152	205	930750176	घुव प्रताप सिंह	बलवन्त सिंह	फतेहगढ़	2025
153	206	960480052	मुकेश कुमार	बटेश्वर सिंह	कमिश्नरेट आगरा	2025
154	207	940480388	चन्द्र प्रकाश	राम विलास शुक्ला	37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर	2025
155	208	940460487	धर्मन्द्र कुमार	श्री रमेश चन्द्र	कमिश्नरेट गाजियाबाद	2025
156	210	940540938	शीलेन्द्र सिंह यादव	श्री इन्द्रवीर सिंह यादव	बदायूँ	2025
157	211	940740354	बृजेश कुमार	श्री रामरूप सिंह	बदायूँ	2025
158	212	940730643	बलराम सिंह	श्री राम महेश सिंह	कमिश्नरेट कानपुरनगर	2025
159	213	940730698	मुकेश कुमार	रमेश चन्द्र	मथुरा	2025
160	214	940741070	उपदेश चन्द्र	रोशन लाल	हाथरस	2025
161	215	960760336	मुकेश कुमार	श्री जसवीर सिंह	कमिश्नरेट कानपुरनगर	2025

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ नं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
162	216	960550212	जगवीर सिंह	बाबू लाल	मैनपुरी	2025
163	217	980440751	महेन्द्र पाल	राम सरन	द्वितीय वाहिनी पीएसी सीतापुर	2025
164	218	980680197	नरेश कुमार	चन्द्रपाल सिंह	शाहजहाँपुर	2025
165	219	980710887	गिरन्द्र सिंह	कलेक्टर सिंह	हाथरस	2025
166	220	980520169	इन्द्रपाल सिंह	श्री साहू लाल सिंह	मथुरा	2025

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।


3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नक:स्वघोषणा पत्र का प्रारूप-क

  
(राम कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक-लाजिस्टिक्स,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद एवं इकाई में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा/गाजियाबाद एवं कानपुरनगर।
3. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली/बस्ती/बलरामपुर/फतेहगढ़/बदौयू/मथुरा/हाथरस/मैनपुरी एवं शाहजहाँपुर।
4. सेनानायक, द्वितीय वाहिनी पीएसी सीतापुर/27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर एवं 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

1. पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10-09-2025 के संदर्भ में।
2. अपर सचिव-प्रोन्नति, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 01-09-2025 के संदर्भ में।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)

पुत्र

निवासी

थाना

जनपद

लिपुस्त हैं। मैं प्रमाणित करता

वर्तमान में (जनपद/इकाई)  
हूँ कि-

(1) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक: को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु०अ०स० द्वारा थाना जनपद में लम्बित है, जिसमें दिनांक: को स्थानीय पुलिस अथवा जॉब एजेंसी द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग: वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया गया जाता है तो मैं विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से झोशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है; जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ

नियुक्त स्थान

दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट- स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तार-1 के अंगप्रस्तार-1, 2 व 3 में से जो लागू है उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।